

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल०-15/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० खुशबू कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल, भागलपुर के द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक-01.03.2024 से 31.08.2024 तक को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में निम्नवत् रवीकृत किया जाता है :-

- (i) दिनांक-01.03.2024 से 27.08.2024 तक - कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन मातृत्व अवकाश के रूप में।
- (ii) दिनांक-28.08.2024 से 31.08.2024 तक - कुल-04 (चार) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल०-15/2025- 614(3) पटना, दिनांक 16/4/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल, भागलपुर /कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/डा० खुशबू कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल, भागलपुर को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।